

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 174

दिनांक 9.4.21

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हडमानाराम पुत्र पोकरराम 2. केवलराम पुत्र पोकरराम 3. दलाराम पुत्र पोकरराम 4. गोविन्दराम पुत्र पोकरराम सभी जातियान पारलु तहसील पचपदरा जिल बाड़मेर	1. हंसाराम पुत्र अंबाराम जाति कुम्हार 2. चुनाराम पुत्र उखाराम उर्फ उकाराम जाति कुम्हार 3. चेनाराम पुत्र उखाराम उर्फ उकाराम जाति कुम्हार 4. रणछोडराम पुत्र उखाराम उर्फ उकाराम जाति कुम्हार 5. मालाराम पुत्र उखाराम उर्फ उकाराम जाति कुम्हार 6. नेमाराम पुत्र उखाराम उर्फ उकाराम जाति कुम्हार 7. बाबुराम पुत्र छोगाराम जाति कुम्हार 8. चिमनाराम पुत्र वागाराम जाति कुम्हार 9. कालुराम पुत्र गेंपरराम जाति कुम्हार 10. सुजाराम पुत्र छोगाराम जाति कुम्हार 11. विशनाराम पुत्र गेंपरराम जाति कुम्हार 12. मुकनाराम पुत्र गेंपरराम जाति कुम्हार 13. चेलाराम पुत्र गेंपरराम जाति कुम्हार 14. कालुराम पुत्र गेंपरराम जाति कुम्हार 15. बाबुलाल पुत्र गेंपरराम जाति कुम्हार 16. छगनलाल पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार 17. इन्द्रकुमार पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार 18. सकिया देवी पतनी हुकमाराम जाति कुम्हार 19. घेवराम पुत्र सुरताराम जाति कुम्हार 20. गोविन्दराम पुत्र सुरताराम जाति कुम्हार 21. मौकीदेवी पत्नी सुरताराम जाति कुम्हार निवासीयान पारलु (नरेश)	
	22. जेदुसिंहपुत्र गणेश जाति पुरोहित 23. ओमप्रकाश पुत्र मेघसिंह जाति पुरोहित 24. विकमसिंह पुत्र मेघसिंह जाति पुरोहित 25. इन्दादेवी पतनी मेघसिंह जाति पुरोहित निवासीयान पारलु 26. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पारलु 27. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा	



मुकदमा नंबर 209/2019

आदेश

दिनांक

उपर्युक्त प्रकरण मौजूदा म्हारों की ढाणी पटवार हल्का, पारलु भू-अभिलेख निरीक्षक कनाना में खसरा नंबर 1219/404 रकबा 41 बीघा कृषि भूमि सहरद विवादित खसरा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीश्नर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें

(नरेश सोनी)

उपस्थान अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दिनांक - 9.4.21

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 175-179

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थानाको पालना हेतु
3. पटवारी म्हारों की ढाणी पटवार क्षेत्र पारलु तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर। को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण
4. प्रार्थीगण हडमानाराम पुत्र पोकरराम जाति कुम्हार तहसील पचपदरा जिल बाड़मेर
5. विप्रार्थीगण हंसाराम पुत्र अंबाराम जाति कुम्हार

उपस्थान अधिकारी
उपस्थान अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा